

**प्रेस विज्ञप्ति**  
**जनपद बस्ती**  
**दिनांक-19.10.2026**

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देश के क्रम में नकबजनी/ चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे 10 दिवसीय विशेष अभियान के तहत थाना गौर पुलिस, एस०ओ०जी० टीम व एंटी थेफ्ट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थाना गौर क्षेत्रान्तर्गत आस-पड़ोस के गाँव के दो घरों में चोरी करने वाले 05 शातिर अंतर्जनपदीय चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 ग्राम पीली धातु का टुकड़ा, 400 ग्राम सफेद धातु का टुकड़ा, चोरी गए रुपये 17,040/- नगद, कुल तीन अदद मोबाइल, घटना में प्रयुक्त एक अदद हुंडई EON कार किया गया बरामद-

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के आदेश के क्रम में नकबजनी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना गौर पुलिस, एस०ओ०जी० टीम व एंटी थेफ्ट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थाना गौर क्षेत्रान्तर्गत आस-पड़ोस के गाँव के दो घरों में हुई चोरी के सम्बन्ध में थाना गौर पर पंजीकृत मु०अ०सं०-175/2026 धारा-331(4), 305(a) BNS की घटना का सफल अनावरण करते हुए संबंधित 05 अभियुक्तों यथा क्रमशः 1-राजकुमार वर्मा पुत्र छोटेलाल वर्मा उम्र करीब 40, 2-सोनेलाल उर्फ सोनू चौहान पुत्र रामजीवन उम्र करीब 25 वर्ष, 3-अवधेश चौहान पुत्र बाबूराम उम्र करीब 30 वर्ष, 4-धनीराम पुत्र जगन्नाथ उम्र करीब 32 वर्ष, 5-आमिर पुत्र मेराज उम्र करीब 36 वर्ष-(सोनार) को दिनांक-19.10.2026 को समय करीब 02:45 बजे सौराहा क्रासिंग से कुछ दूर आगे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1-15 ग्राम पीली धातु का टुकड़ा, 2- 400 ग्राम सफेद धातु का टुकड़ा, 3-रुपये 17,040/- नगद चोरी के व घटना में प्रयुक्त एक अदद हुंडई EON कार वाहन संख्या-UP32FY3606, 4-कुल तीन अदद मोबाइल (Lava Company, Gamma Model 4C MINI, Samsung Company) बरामद कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गौर पर पंजीकृत मु०अ०सं०-175/2026 धारा-331(4), 305(a) BNS में धारा-317(2), 111(2) BNS की बढ़ोत्तरी कर अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

- 1-राजकुमार वर्मा पुत्र छोटेलाल वर्मा उम्र करीब 40 निवासी औरीसायपुर थाना तम्बौर जनपद सीतापुर (उ०प्र०)।
- 2-सोनेलाल उर्फ सोनू चौहान पुत्र रामजीवन उम्र करीब 25 वर्ष निवासी कुट्टी सुपौली मौजा लोनिया पुरवा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर (उ०प्र०)।
- 3-अवधेश चौहान पुत्र बाबूराम उम्र करीब 30 वर्ष निवासी बेदौरा थाना रेउसा जनपद सीतापुर (उ०प्र०)।
- 4-धनीराम पुत्र जगन्नाथ उम्र करीब 32 निवासी ऊंचगांव करहेका थाना सकरन जनपद सीतापुर (उ०प्र०)।
- 5-आमिर पुत्र मेराज उम्र करीब 36 वर्ष निवासी महाराजगंजजोत चांदपार थाना हरदी जनपद बहराईच-सोनार (उ०प्र०)।

**बरामदगी का विवरण-**

- 1-15 ग्राम पीली धातु का टुकड़ा।
- 2-400 ग्राम सफेद धातु का टुकड़ा।
- 3-रुपये 17,040/- नगद चोरी के व एक अदद हुंडई EON कार वाहन संख्या-UP32FY3606।
- 4-कुल तीन अदद मोबाइल (Lava Company, Gamma Model 4C MINI, Samsung Company)।

**घटना का संछिप्त विवरण-**

दिनांक-10/11.10.2026 की रात्रि में समय करीब 01:00 बजे से 02:30 बजे के मध्य कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा थाना गौर क्षेत्रान्तर्गत दो पड़ोसी गाँव यथा क्रमशः 1-ग्राम उकरहा में एक घर के खिड़की से उतरकर कमरे में दाखिल होकर बक्शे को तोड़कर कुछ सोने-चांदी के जेवरात व करीब रुपये 2,000/- नगद की चोरी कर लिए थे एवं 2-ग्राम रानीपुर बाबू में भी एक घर में मुख्य दरवाजे की कुंडी तोड़कर कमरे में दाखिल होकर बक्शे में रखे सोने-चांदी के जेवरात व करीब रुपये 5,000/- नगद की चोरी कर लिए थे, जिसके संबंध में थाना गौर पर मु०अ०सं०-175/2026 धारा-331(4), 305(a) BNS पंजीकृत कर थाना गौर पुलिस, एस०ओ०जी० टीम व एंटी थेफ्ट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में घटना का सफल अनावरण करते हुए संबंधित उक्त 05 अभियुक्तों को दिनांक-19.10.2026 को समय

करीब 02:45 बजे सौराहा क्रासिंग से कुछ दूर आगे से गिरफ्तार कर **उनके कब्जे से 1-15** ग्राम पीली धातु का टुकड़ा, **2-400** ग्राम सफेद धातु का टुकड़ा, **3-रुपये 17,040/-** नगद चोरी के व एक अदद हुंडई EON कार वाहन संख्या-UP32FY3606, **4-कुल तीन** अदद मोबाइल (Lava Company, Gamma Model 4C MINI, Samsung Company) बरामद कर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गौर पर पंजीकृत मु०अ०सं०-175/2026 धारा-331(4), 305(a) BNS में धारा-317(2), 111(2) BNS की बढ़ोत्तरी कर अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम 04 लोग घुम-घुम कर घरों में चोरी करते हैं, जहां से मिले सोने व चांदी के जेवरात को **5-आमिर पुत्र मेराज-(सोनार)** के यहाँ बेच देते हैं जोकि सोने-चांदी की दुकान किया है। हम लोग दिनांक-10/11.10.2026 की रात्रि में उक्त हुंडई EON कार से थाना गौर क्षेत्र के ग्राम उकरहा के एक मकान में खिड़की के रास्ते घुसकर बक्शे को तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात व कुछ नगद रुपये चोरी किये थे एवं उसके बाद उसी रात बगल के गांव रानीपुर बाबू में एक घर के मुख्य दरवाजे के रास्ते से घुसकर बक्शे का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात व कुछ नगद रुपये भी चोरी कर चोरी से प्राप्त कुल सोने-चांदी को हम लोगों ने **5-आमिर पुत्र मेराज-(सोनार)** को बेचा था, जिसका उसने हमें रुपये 70,000/- नगद दिया था जिसे हम लोगों ने रुपये 17,500/- बराबर-बराबर आपस में बांट लिया था जिसमें से हम लोगों के पास बचे हुए पैसों को आप लोगों ने पकड़ लिया है। हम सभी लोग डरवश नेपाल भागने की फिराक में थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिए गए।

### अपराध का तरीका-

04 अभियुक्त हुंडई EON कार से ग्रामीण/ शहरी क्षेत्रों में घुम-घुम कर घरों में चोरी करते हैं जहां से मिले सोने व चांदी के जेवरात को सोने-चांदी की दुकान करने वाले **अभियुक्त 5-आमिर पुत्र मेराज (सोनार)** को बेच देते हैं एवं उनसे मिले पैसों को आपस में बाँट लेते हैं।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

#### अभियुक्त 1-राजकुमार वर्मा पुत्र छोटेलाल वर्मा।

- 1- मु०अ०सं०-175/2026 धारा-331(4), 305(a), 317(2), 111(2) BNS थाना गौर जनपद बस्ती।
- 2-मु०अ०सं०-913/2015 धारा-411, 413, 419, 420, 467, 468, 471 IPC थाना फखरपुर जनपद बहराइच (उ०प्र०)।
- 3-मु०अ०सं०-16/2015 धारा-394 IPC थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर (उ०प्र०)।
- 4-मु०अ०सं०-740/2017 धारा-394, 411 IPC थाना बांडी जनपद बहराइच (उ०प्र०)।
- 5-मु०अ०सं०-741/2017 धारा-307 IPC व 3/25 Arms Act थाना बांडी जनपद बहराइच (उ०प्र०)।
- 6-मु०अ०सं०-756/2017 धारा-307 IPC थाना बांडी जनपद बहराइच (उ०प्र०)।
- 7-मु०अ०सं०-757/2017 धारा-3/25 Arms Act थाना बांडी जनपद बहराइच (उ०प्र०)।
- 8-मु०अ०सं०-30/2018 धारा-392, 411 IPC थाना हरदी जनपद बहराइच (उ०प्र०)।
- 9-मु०अ०सं०-190/2018 धारा-3/25 Arms Act थाना हरदी जनपद बहराइच (उ०प्र०)।
- 10-मु०अ०सं०-444/2019 धारा-504, 506 IPC थाना तंबौर जनपद सीतापुर (उ०प्र०)।
- 11-मु०अ०सं०-241/2020 धारा-8/21 NDPS Act थाना तंबौर जनपद सीतापुर (उ०प्र०)।
- 12-मु०अ०सं०-230/2021 धारा-323, 504, 506 IPC थाना तंबौर जनपद सीतापुर (उ०प्र०)।
- 13-मु०अ०सं०-338/2024 धारा-115(2), 126(2), 351(2), 352 BNS थाना तंबौर जनपद सीतापुर (उ०प्र०)।
- 14-मु०अ०सं०-90/2024 धारा-305(a), 317(2), 331(4) BNS थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थ नगर (उ०प्र०)।
- 15-मु०अ०सं०-91/2024 धारा-305(a), 317(2), 317(4), 331(4), 61(2) BNS थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थ नगर (उ०प्र०)।
- 16-मु०अ०सं०-186/2024 धारा-305(a), 317(2), 317(4), 331(4), 61(2) BNS थाना इटवा जनपद सिद्धार्थ नगर (उ०प्र०)।
- 17- मु०अ०सं०-246/2024 धारा-305(a), 317(2), 317(4), 317(5), 331(4) BNS थाना ललिया जनपद बलरामपुर (उ०प्र०)।
- 18- मु०अ०सं०-22/2025 धारा-3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना महाराजगंज तराई जनपद बलरामपुर (उ०प्र०)।
- 19- मु०अ०सं०-20/2026 धारा-305(a), 317(2), 331(4) BNS थाना रेउसा जनपद सीतापुर (उ०प्र०)।

## अभियुक्त 2-सोनेलाल पुत्र रामजीवन |

- 1- मु०अ०सं०-175/2026 धारा-331(4), 305(a), 317(2), 111(2) BNS थाना गौर जनपद बस्ती |
- 2-मु०अ०सं०-250/2021 धारा-4/25 Arms Act थाना सकरन जनपद सीतापुर (उ०प्र०) |
- 3-मु०अ०सं०-104/2022 धारा-380, 411, 457 IPC थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया (उ०प्र०) |
- 4-मु०अ०सं०-117/2022 धारा-307 IPC थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया (उ०प्र०) |
- 5-मु०अ०सं०-283/2022 धारा-3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया (उ०प्र०) |
- 6-मु०अ०सं०-584/2023 धारा-60 आबकारी अधिनियम थाना लहरपुर जनपद सीतापुर (उ०प्र०) |
- 7-मु०अ०सं०-91/2024 धारा-305(a), 317(2), 317(4), 331(4), 61(2) BNS थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थ नगर (उ०प्र०) |
- 8-मु०अ०सं०-186/2024 धारा-305(a), 317(2), 317(4), 331(4), 61(2) BNS थाना इटवा जनपद सिद्धार्थ नगर (उ०प्र०) |
- 9-मु०अ०सं०-148/2024 धारा-103, 307, 317(4), 331, 331(8), 61(2) BNS थाना महाराजगंज तराई जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) |
- 10-मु०अ०सं०-65/2024 धारा-3/25 Arms Act व 109 BNS थाना जरवा जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) |
- 11-मु०अ०सं०-182/2024 धारा-3/5/25 Arms Act थाना लहरपुर जनपद सीतापुर (उ०प्र०) |
- 12-मु०अ०सं०-22/2025 धारा-3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना महाराजगंज तराई जनपद बलरामपुर (उ०प्र०) |
- 13-मु०अ०सं०-199/2026 धारा-115(2), 191(2), 351(3), 352 BNS थाना काकोरी जनपद लखनऊ (उ०प्र०) |

## अभियुक्त 3-अवधेश पुत्र बाबूराम |

- 1- मु०अ०सं०-175/2026 धारा-331(4), 305(a), 317(2), 111(2) BNS थाना गौर जनपद बस्ती |
- 2-मु०अ०सं०-155/2024 धारा-380, 411, 457 IPC थाना सिधौली जनपद सीतापुर (उ०प्र०) |
- 3-मु०अ०सं०-145/2024 धारा-380, 411, 457 IPC थाना थानगांव जनपद सीतापुर (उ०प्र०) |
- 4-मु०अ०सं०-173/2024 धारा-25(1B) Arms Act थाना थानगांव जनपद सीतापुर (उ०प्र०) |
- 5-मु०अ०सं०-283/2024 धारा-380, 411, 457 IPC थाना रेउसा जनपद सीतापुर (उ०प्र०) |
- 6-मु०अ०सं०-11/2026 धारा-3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना रेउसा जनपद सीतापुर (उ०प्र०) |

## अभियुक्त 4-धनीराम पुत्र जगन्नाथ |

- 1- मु०अ०सं०-175/2026 धारा-331(4), 305(a), 317(2), 111(2) BNS थाना गौर जनपद बस्ती |

## अभियुक्त 5-आमिर उर्फ गुड्डू (सोनार) पुत्र मेराज |

- 1- मु०अ०सं०-175/2026 धारा-331(4), 305(a), 317(2), 111(2) BNS थाना गौर जनपद बस्ती |
- 2-मु०अ०सं०-281/2020 धारा-147, 323, 504, 506 IPC थाना हरदी जनपद बहराइच (उ०प्र०) |

## पुलिस टीम का विवरण-

- 1-थानाध्यक्ष गौर अतुल कुमार अंजान जनपद बस्ती |
- 2-प्रभारी एस०ओ०जी० टीम निरीक्षक विकास यादव जनपद बस्ती |
- 3-प्रभारी एंटी थेफ्ट टीम उ०नि० भानु प्रताप सिंह जनपद बस्ती |
- 4-प्रभारी चौकी बभनान अजयनाथ कन्नौजिया, उ०नि० भानुप्रताप यादव, उ०नि० रामप्रकाश यादव थाना गौर जनपद बस्ती |
- 5-हे०का० धीरज यादव, हे०का० अतीश यादव, चालक हे०का० महेन्द्र प्रताप यादव, का० चन्द्रप्रकाश शुक्ला, का० सोनू यादव, का० अभिषेक नाथ, का० हरिशंकर यादव, का० कामरान खान, का० दिव्यांश शर्मा, का० प्रभात तिवारी थाना गौर जनपद बस्ती |
- 6-हे०का० रमेश यादव, हे०का० पवन तिवारी, हे०का० मृत्युंजय कुशवाहा, हे०का० इरशाद खान, हे०का० अभय उपाध्याय, हे०का० शिवम यादव, का० विजय यादव, का० चन्दन भारती एस०ओ०जी० टीम जनपद बस्ती |
- 7-हे०का० अतुल चौबे, का० अभिलाष प्रताप सिंह, का० सुभेन्द्र तिवारी, का० सौरभ मिश्रा एंटी थेफ्ट टीम जनपद बस्ती |
- 8-हे०का० सत्येंद्र सिंह सर्विलांस सेल जनपद बस्ती |

